न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्रीकरणपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या : 12/2023(जी.सी.एम.एस.2023/365)

प्रार्थी	बनाम अप्रार्थीगण
1. सुखदेव सिंह पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर।	1. कन्हैयालाल पुत्र टीकूराम जाति जाट निवासी 36 एच नग्गी तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर। 2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः1.श्री योगेश बंसल, श्री गौरव बिश्नोई अधिवक्ता प्रार्थी **तारीख रजू:–16.08.2023**
2.श्री सुधीर शर्मा अप्रार्थी संख्या 1

––निर्णय–– **दिनांक : 06.09.2024**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 36 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 20/20 के मुरब्बा नम्बर 87, 96/19 की कुल 0.910 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के के पिता कृष्णलाल के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी प्रकार चक 36 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर, की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 20/20 के मुरब्बा नम्बर 66, 82, 85, 87, 96/18 की कुल 6.449 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी कन्हैयालाल के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रार्थी के पिता कृष्णलाल द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि को जरिये दानपत्र दिनांकित 02.09.2011 को प्रार्थी को दे दी थी। उक्त दानपत्र की दिनांकित 02.09.2011 से उक्त भूमि पर प्रार्थी का शांतिपर्वूक कब्जा चला आ रहा है। चक 36 एच के मुरब्बा नम्बर 64, 63 से होते हुए मुरब्बा नम्बर 86 व 87 के लिए सरकारी रास्ता स्वीकृत है, जो कि मुरब्बा नम्बर 87 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 तक जाता है। प्रार्थी को अपने रकबा में जाने के लिए रास्ता की आवश्यकता है। इसलिए प्रार्थी मुरब्बा नम्बर 87 के किला नम्बर 21 ता 25 में 2-2 बिस्वा व किला नम्बर 25 में दक्षिण से उतर की तरफ से किला नम्बर 16 तक 2-2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है या मुरब्बा नम्बर 87 के किला नम्बर 21 ता 25 के चिपती एच नहर निकलती है जिसके साथ 66 फीट पटडा है, उक्त रास्ते में से मुरब्बा नम्बर 87 के किला नम्बर 25 में 2-2 बिस्वा दक्षिण से उतर किला नम्बर 16 तक रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। जिससे प्रार्थी चलकर अपने खेत के मुरब्बा नम्बर 87 के किला नम्बर 15/1, किला नम्बर 16 व किला नम्बर 17/2 में अपनी फसल काश्त कर सकेगा। इस रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास कोई और रास्ता नहीं है। प्रार्थी उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को उक्त रास्ते का राजस्व अभिलेख में अंकन करवा लेने को कहा, तो अप्रार्थी संख्या 1 ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर टी ए पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 36 एच के मुरब्बा नम्बर 87 के किला नम्बर 21 ता 25 में 2-2 बिस्वा व किला नम्बर 25 में दक्षिण से उतर की तरफ से किला नम्बर 16 तक 2-2 बिस्वा रास्ता या मुरब्बा नम्बर 87 के किला नम्बर 21 ता 25 के चिपती एच नहर निकलती है जिसके साथ 66 फीट पटडा है, उक्त रास्ते में से मुरब्बा नम्बर 87 के किला नम्बर 25 में 2-2 बिस्वा दक्षिण से उतर किला नम्बर 16 तक रास्ता स्वीकृत किया जाकर उक्त रकबा को राजस्व रिकॉर्ड में गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुधीर शर्मा उपस्थित आए। प्रार्थी के नाम चक 36 एच नग्गी के मुरब्बा नम्बर 87 में कोई भूमि दर्ज नहीं है। और ना ही कब्जा है। मुरब्बा नम्बर 87 की भूमि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में लिखा है कि भूमि कृष्णलाल के नाम दर्ज है। इसलिए मुताबिक कानून के अनुसार जब तक भूमि किसी के नाम खातेदारी दर्ज नहीं है। तो वह किसी से रास्ते की मांग नहीं कर सकता है। कृष्णलाल द्वारा द्वारा माननीय न्यायालय में मुरब्बा नम्बर 87 की अपनी भूमि बाबत रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र जो प्रकरण संख्या 8/2016 अनवानी कृष्णलाल बनाम कन्हैयालाल आदि पेश किया था, जो माननीय न्यायालय द्वारा 2016 में खारिज किया। उक्त फैसले के विरूद्ध कृष्णलाल द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में अपील पेश की। उक्त अपील अनवानी कृष्णलाल बनाम कन्हैयालाल प्रकरण संख्या 23/2017 जो 2020 में खारिज हुई। उक्त आदेश के विरूद्ध कृष्णलाल द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी संख्या 4890/2020 अनवानी कृष्णलाल बनाम

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

कन्हैयालाल पेश की, जो अब राजस्व मण्डल अजमेर में जैरकार है। प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय को गुमराह कर सही तथ्य छुपाते हुए उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो खारिज योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आरटीए खारिज फरमाया जावे।

3. उक्त के संबध में तहसीलदार श्रीकरणपुर से क्रमांक/राजस्व/2023/1084 दिनांक 30.10.2023 से मूल रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक नग्गी मय नजरी नक्शा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त रिपोर्ट तैयार करते समय भू-अभिलेख निरीक्षक नग्गी व पटवारी हल्का नग्गी द्वारा चक 53 36 एच नग्गी में मौका पर जाकर, भौतिक सत्यापन व पडोसी काश्तकारान से पूछताछ कर, यह पाया कि उक्त चक 36 एच के मुरब्बा नम्बर 87 के किला नम्बर 25 में से होकर रास्ते की मांग वादी के पिता कृष्णलाल पुत्र टीकूराम द्वारा उपखण्ड न्यायालय श्रीकरणपुर में रास्ते की मांग की गई थी। प्रकरण संख्या 08/2016 माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 21.12.2016 को खारिज किया गया। जिसकी अपील वादी के पिता द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर के यहा प्रकरण संख्या 23/2017 के जरिये की गई। जिसमें निर्णय दिनांक 23.10.2000 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा गया। उक्त निर्णय के विरूद्व राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के निगरानी संख्या 4890/2020 प्रस्तुत की गई जो आज दिनांक तक विचाराधीन है।

4. हमने विद्वान अधिवक्तागण, उभयपक्षकारान की बहस सुनकर उस पर गौर किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र एंव तहसीलदार श्रीकरणपुर द्वारा प्रेषित भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जॉच रिपोर्ट, फर्द मौका एवं उस पर प्रस्तावित नजरी नक्शा का अवलोकन करते हुए विधिक प्रावधानों पर मनन किया। धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में खातेदारों के लिए नवीन रास्ता संबधी प्रावधान निम्नानुसार है:-" कृषको के रास्ते के सुखाधिकार का और विस्तार करते हुए धारा 251ए काश्तकारी अधिनियम 1955 में 251ए का समावेश किया गया है, जिसकी उपधारा (1) के (ख) के अनुसार- कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या यथास्थिति उनकी जोतों तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता या किसी विद्यमान को विस्तारित या चौडा करना चाहता है तो एक अभिधारी या यथास्थिति ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे। उक्त धारा के प्रावधानानुसार संक्षिप्त जॉच पश्चात वैकल्पिक मार्ग नहीं होने की स्थिति में अन्य खातेदार की भूमि में होकर एक नया मार्ग बनाने की मंजूरी विहित रीति से अवधारित किए गए प्रतिकर के संदाय पर अनुज्ञात किया जा सकेगा।"

5. भू-अभिलेख निरीक्षक एंव पटवारी हल्का की संयुक्त जांच रिपोर्ट एंव फर्द मौका एंव राजस्व रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी के द्वारा चक 36 एच, पटवार हल्का नग्गी, भू.अ.नि. क्षेत्र नग्गी, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 20/20 के मुरब्बा नम्बर 87, 96/19 की कुल 0.910 हैक्टेयर भूमि में पंहुचने के लिए अप्रार्थी के मुरब्बा नम्बर 87 के किला नम्बर 21, 22, 24, 25 की दक्षिणी बट के साथ-साथ 2-2 बिस्वा, किला नम्बर 25 में पूर्वी बट के साथ 2 विस्वा रास्ते की मांग की गई है। लिहाजा जिस भूमि के लिए रास्ता की मांग की गई है। वह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में कृष्णलाल पुत्र टीकूराम के नाम दर्ज है। प्रार्थी सुखदेव राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज नहीं है। इसलिए प्रार्थी उक्त भूमि के लिए रास्ता की मांग नहीं कर सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251ए के तहत संबधित खातेदार ही अपनी जोत तक पहंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है, तो सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगे। अतः प्रार्थना पत्र, प्रार्थी अस्वीकार/खारिज किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

-:आदेश:-

6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी सावित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{श्योराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 06.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम आर.ए.एस}
उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर